सम्पादकीय

चोरी और सीनाजोरी

मैं नागरिक उड्डयन मंत्री हूं। मैं फ्लाइट में माचिस ले जाता हूं। मेरी तलाशी नहीं ली जाती। माचिस से विमान को क्या खतरा हो सकता है? क्या आज तक कोई विमान अपहरण माचिस से हुआ है? केंद्रीय उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के एक कार्यक्रम में यह कहकर सनसनी फैला दी। हालांकि बाद में पत्रकारों को सफाई भी दी लेकिन एक मंत्री के नाते क्या उन्हें ऐसे बेतुके और विवादास्पद बयान देने चाहिएं? जब से मोदी सत्ता में आए हैं तब से अनेक मंत्रियों और भाजपा नेताओं की जुबान के कारण सरकार और देश को शर्मसार होना पड़ा है। नितिन गडकरी, जनरल वी.के. सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, गिरीराज सिंह, अमित शाह और साक्षी महाराज जैसे अनेक उदाहरण हैं जिनके बेतुके बोलों के कारण विवाद खड़े हुए। प्रधानमंत्री को ऐसे नेताओं की जुबान पर लगाम कसने के पक्के प्रबंध करने होंगे।

> मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि माचिस की एक तीली से विमान में आग लगाई जा सकती है। जो कि अपहरण की वारदात से ज्यादा खतरनाक है।

भारतीय उड्डयन कानून के तहत माचिस या कोई भी ज्वलनशील वस्तु विमान में ले जाना अपराध है तो फिर क्या मंत्री जी कानून से ऊपर हैं? तलाशी से छूट का मतलब यह तो नहीं कि वे कानून का उल्लंघन करें और फिर सार्वजनिक रूप से शेखी भी बघारें। मंत्री जी को मालूम होना चाहिए कि माचिस की एक तीली से विमान में आग लगाई जा सकती है। जो कि अपहरण की वारदात से ज्यादा खतरनाक है। केन्द्र को चाहिए कि यदि मंत्री इस तरह विशेषाधिकार का फायदा उठा रहे हैं तो उनकी तलाशी से छूट के अधिकार वापस ले लिए जाएं। सिर्फ उनकी ही नहीं, सभी वीवीआईपी दर्जा प्राप्त लोगों की भी सुरक्षा जांच अनिवार्य की जाए। ताकि आमयात्रियों की सुरक्षा से वे खिलवाड़ नहीं कर सकें। अमरीकी सुरक्षाकर्मी जब नेताओं की तलाशी लेते हैं तो ये बवाल खड़ा कर देते हैं।

राजू जैसे मंत्रियों के बयान के बाद कौन सा ऐसा देश होगा जो हमारे नेताओं की तलाशी नहीं लेगा? विमानन क्षेत्र में वैसे ही आजकल खतरे कम नहीं हैं। अब तो कॉकपिट भी सुरक्षित नहीं रहे। ऐसे में जरा सी लापरवाही या सुरक्षा में चूक बड़ा खतरा बन सकती है। यदि मंत्री जी वाकई अपने पद की गरिमा और गंभीरता बनाए रखना चाहते हैं तो देश के आम आदमी से माफी मांगें। ताकि उनमें यह विश्वास पैदा हो सके कि वे अपने कार्य के प्रति वफादार हैं। इस बयान से तो उन्होंने उन सुरक्षाकर्मियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जो दिन-रात मुस्तैदी से हवाई अड्डों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। - वाल्तेयर

बात-करामात

त्याग

गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजो भारत छोड़ो और मोदी जी का नारा है देशवासियो सब्सिडी छोड़ो। चार दिन से सुनते-सुनते कान पक गए। कल तो वे कहेंगे सांस लेना भी छोड़ दो क्योंकि इससे ऑक्सीजन की बचत होगी। माना कि वे अभी अपनी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं से कह रहे हैं लेकिन हमें तो ऐसी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है कि नेताओं ने सब्सिडी छोड़ने का मन बनाया हो। मोदी एक बात और कह रहे हैं कि अमीरों को सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए और वे सब्सिडी ले रहे हैं। इसका मतलब वे 'गरीब' हैं। और हमें 'गरीबी' शब्द से चिढ़ है। हमारी नजर में आदमी गरीब और रईस धन से नहीं नीयत से होता है। ये नेतागण जो करोड़ों के बंगलों में रहते हैं तो क्या ये भी गरीब हैं और रही बात सब्सिडी छोड़ने की तो मां कसम हम आज अभी इसी वक्त गैस सब्सिडी छोड़ सकते हैं लेकिन पहले मोदी मंत्रिमंडल के सारे मंत्री और संसद में उनका साथ देने वाले लोग वादा करें कि वे संसद की कैंटीन में महासस्ते में मिलने वाला खाना नहीं खाएंगे। मूली-गाजर के भाव मिलने वाला मुर्गा नहीं चबाएंगे। क्या मंत्रियों और सांसदों को तनखा नहीं मिलती? अगर तनखा मिलती है, भत्ते मिलते हैं तो इतने बड़े-बड़े बंगले जिनमें आसानी से सौ भैंसों का तबेला बनाया जा सकता है, इनमें ये लोग क्यों रहते हैं? करोड़ों लोगों के रहने को घर नहीं है, बीमार बच्चों के लिए बड़े-बड़े शहरों में गिनती के अस्पताल हैं। लाखों लड़के-लड़कियां खुले में पढ़ते हैं, जब देश के भविष्य के लिए सुविधा नहीं हैं तो फिर इन नेताओं को ऐश करने का क्या हक है? जब भी मोदी जी जनता से सब्सिडी छोड़ने को कहते हैं हमारे तो तन-बदन में आग-सी लग जाती है। माना कि उन्हें अपने सीमित परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए पर हम क्या करें? गरीबों का हक अमीर खा रहे हैं। कई ऐसे अमीर हैं जिन्होंने बीपीएल कार्ड बनवा रखे हैं। विधायकों और सांसदों को राजधानी की महंगी बस्तियों में बंगले एलॉट करने में भी वरीयता बरती जाती है। तो काहे को बार-बार हमसे ही त्याग की अपेक्षा करते हो। देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गैस कनेक्शन तक नहीं है। आप अपने वित्त मंत्री से साफ कहिए कि ऐसा कानून बनाएं जिससे सालाना आठ-दस लाख से ज्यादा कमाने वालों को कोई रियायत न मिले। तब आएगा असली मजा। **- राही**

> कई अमीरों ने बीपीएल कार्ड बनवा रखे हैं। विधायकों और सांसदों को खास बंगले एलॉट करने में वरीयता बरती जाती है।

प्रत्यक्ष : आभास

महासमर 2388

चिरंजीवी हो पुत्र!' कुंती ने कृष्ण के सिर पर हाथ रखा, 'महाराज से मिल कर आ रहे हो?' 'हां बुआ!' 'संधि कर आए अथवा युद्ध होगा?' 'संभावना तो युद्ध की ही है किंतु अभी संधि का प्रयत्न होगा। उसके विषय में निश्चित रूप से तो कल ही बता पाऊंगा।' कृष्ण बोले, 'आप कैसी हैं?' 'जैसी हो सकती हूं, वैसी ही हूं पुत्र!' कुंती ने कहा, 'जानती हूं कि अपने भाइयों की तुम पूरी देख-भाल कर रहे हो। जानती हूं कि एक सीमा के पश्चात् कोई माता-पिता अपनी संतान के लिए कुछ नहीं कर सकते फिर भी अपने पुत्रों की चिंता करती हूं।' 'क्यों चिंता करती हैं बुआ? आपके पुत्र महावीर हैं। वे सब प्रकार से समर्थ हैं। वे धर्म की छत्रछाया में हैं।' कृष्ण मुस्कराए, 'फिर भी उनकी चिंता करती हैं?'

'चिंता तो मैं इसलिए करती हूं, क्योंकि मैं उनकी मां हूं।' कुंती ने कहा, 'न मैं उनकी असहायता और निर्धनता भूल पाती हूं और न अपनी पुत्रवधू का अपमान। मुझे चिंता है कि अपनी उदारता और क्षमाप्राण बुद्धि के कारण युधिष्ठिर कहीं महाराज धृतराष्ट्र का संधि प्रस्ताव मान ही न ले।''संधि प्रस्ताव मानने में आपको क्या आपत्ति है बुआ? उससे अट्ठारह अक्षौहिणी सेना नष्ट होने से बच जाएगी।' कृष्ण बोले, 'उनके परिवारों का शोक टल जाएगा। क्या आपको यह अच्छा नहीं लगेगा?' 'पाप, अधर्म और अन्याय की रक्षा के लिए शांति का प्रस्ताव एक सुंदर तर्कहै।' कुंती ने एक कटु मुस्कान के साथ कहा, 'जिन्हें संधि इतनी ही प्रिय है, उनसे कहो कि वे मानवता के इस विनाश को बचाने के लिए थोड़ा त्याग करें। अपने पुत्र दुःशासन को उसके अपराध का दंड भोगने के लिए भीम को सौंप दें। यह भी न कर सकें तो दुर्योधन को कोई पांच ग्राम देकर, सत्ता, पूर्व-युवराज युधिष्ठिर को सौंप दें। शांति की रक्षा के लिए सारा मूल्य सदा पांडव ही क्यों चुकाएं? इस संसार में शांति बनाए रखने के लिए धृतराष्ट्र का सिंहासन पर बैठे रहना और मेरे पुत्रों का वनों में भटकते रहना क्यों आवश्यक है? शांति के लिए द्रौपदी ही क्यों अपमानित होती है, दुर्योधन क्यों थोड़ा-सा कष्ट नहीं सहता? नहीं केशव! यह धर्म नहीं है। जिस संधि से अधर्म सत्तासीन होता है, मैं उसकी समर्थक नहीं हूं। धर्म क्षेत्र को पापियों के रक्त से धुलना ही होगा तभी वह धर्म क्षेत्र हो पाएगा। शांति के उपासकों से कहो कि यदि सैनिकों को मृत्यु से बचाना है तो वे दुर्योधन को कहें कि वह भी जरासंध के समान भीम से अकेले लड़कर इस युद्ध का निर्णय कर ले। जो विजय हो, वह राजा हो और अपराधियों को दंडित करने का उसे अधिकार हो।'

कृष्ण हंसे, 'ठीक कहती हैं बुआ! पापी को दंडित होना ही चाहिए किंतु दंडित केवल पापी ही नहीं होगा, पाप में उसका सहायक, उसका रक्षक और उस पाप के फल का भोक्ता भी होगा।' 'उनकी सूची तो बहुत लंबी है पुत्र!' 'न्याय सूची देखकर तो नहीं होता बुआ!' कृष्ण उठ खड़े हुए, 'तो चलूं, हस्तिनापुर के युवराज से भी भेंट कर आऊं। राजा दुर्योधन मुझे न हस्तिनापुर के नगर द्वार पर मिले, न महाराज के मंडप में।' 'तुम तो निर्बंध स्वच्छंद पवन के समान हो कृष्ण! कोई तुम्हें कहीं जाने से कैसे रोक सकता है।' कुंती ने मुस्कराकर जैसे उन्हें अनुमति दे दी। दुर्योधन का प्रासाद पर्वत के समान ऊंचा और विराट था। उसको सुंदर और असाधारण बनाने के लिए बहुत सारा धन और स्वर्ण व्यय किया गया था किंतु उसमें कहीं भी भव्यता और पवित्रता का आभास नहीं होता था। धन का अहंकार और प्रदर्शन अवश्य झलकता था। कृष्ण मन ही मन मुस्कराए, 'वैभव का आतंक इसे ही कहते हैं।' परिचारिकाएं कृष्ण को सीधे दुर्योधन के कक्ष में ले गईं। प्रासाद में अनेक लोग दिखाई पड़ रहे थे जैसे सारा कुरुकुल वहां एकत्रित हो किंतु दुर्योधन के कक्ष में केवल दुःशासन, कर्ण और शकुनि ही थे। उन्होंने कृष्ण का समारोहपूर्वक स्वागत किया। जल, मधुपर्क और अर्घ्य निवेदित किया। कृष्ण बैठ गए तो अन्य कक्षों से कुछ और लोग भी उनसे मिलने आए। दुर्योधन ने उन सबसे उनका परिचय कराया।

क्रमशः **- नरेन्द्र कोहली**

इस तमाम प्रपंच का मूल अहंकार ही है। इसके समूल नाश से तृष्णाओं का भी अंत हो जाएगा। **-गौतम बुद्ध**

पोलमपोल भायो

ना मुआवजो फसल को, नहीं कीमती जान
ना दीखै सरकार ने, तिल-तिल मरै किसान

स्पॉटलाइट

बेलगाम : अवैध खनन ने मुरैना में एक और पुलिसकर्मी की ली जान

अवैध खनन का काला खेल

देश में वैध खनन की आड़ में बड़ी तादाद में अवैध खनन का खेल चलता है। खदानों के आवंटन में भ्रष्टाचार और फिर काला बाजारी का खेल किसी से छिपा नहीं है। जो भी इसमें बाधा बनने की कोशिश करता है उसे रास्ते से हटाने के लिए साम-दाम-दंड-भेद हर तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। देश में खनन माफिया किस कदर बेखौफ है, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि दो साल पहले मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार की इसी माफिया ने जान ले ली थी। आज के स्पॉटलाइट में पढ़िए अवैध खनन का खेल और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानकारों की राय...

समानांतर साम्राज्य

अमिताभ ठाकुर, आईपीएस

खनन में बहुत कमाई है। लगभग सभी राजनीतिक दलों से जुड़े लोग खनन के काम से जुड़े हैं। क्योंकि खनन के लिए लाइसेंस की सरकारी फीस बहुत कम होती है। मसलन उत्तरप्रदेश में मोरम निकालने के लिए एक ट्रक की सरकारी फीस 1000 रुपए है। यही ट्रक लखनऊ, कानपुर जैसी जगहों पर 15-16 हजार रुपए में बिकता है। बीच का पैसा बिचौलिये, ठेकेदार आदि मिलकर हजम करते हैं। इसलिए भारी संख्या में राजनीतिक रसूख वाले लोग ही खनन कार्य करते हैं। सत्ता बदलने के साथ वे अपनी 'लॉयल्टी' भी बदलते रहते हैं। इस काम में धनबल से लेकर बाहुबल सबका इस्तेमाल किया जाता है। रसूखदार खननकर्ता के अवैध खनन कार्य को लेकर अगर कोई अधिकारी, समाजसेवी या जनता भी आड़े आना चाहती है तो उन्हें रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश होती है। किसी भी स्तर का अधिकारी हो, जब वह अवैध खनन की रोकथाम के प्रयास करता है तो उसका तबादला होते देर नहीं लगती। कुछ अधिकारियों को तो अवैध खनन रोकने पर अपनी जान ही गंवानी पड़ी।

> अवैध खनन ने गहरी जड़े बना ली हैं। यह पूरी तरह सत्ता संरक्षण में होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी सहयोगी रहते हैं। सबके पीछे पूरी तरह राजनीतिक वरदहस्त होता है इसलिए निगरानी कार्य नहीं हो पाता।

मैं और मेरी पत्नी नूतन ठाकुर, दुर्गाशक्ति नागपाल, मध्यप्रदेश के नरेंद्र कुमार जैसे अफसर अवैध खनन के तंत्र के भुगतभोगी रहे हैं। जब हमने उत्तरप्रदेश के खनन मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त के समक्ष परिवाद दाखिल किया तो मुझे और मेरी पत्नी को खूब धमकियां मिलीं। मुझ पर बलात्कार का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया। मेरी पत्नी पर भी आरोप लगाए गए। जांच हुई तो फर्जी आरोपों की पोल खुलने लगी। आरोपी इधर-उधर भागने लगे। जांच अब भी पूरी नहीं हुई है। दरअसल, अवैध खनन ने गहरी जड़ें बना ली हैं। यह पूरी तरह सत्ता संरक्षण में होता है। प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें सहयोगी रहते हैं। पीछे राजनीतिक वरदहस्त होता है इसलिए निगरानी कार्य नहीं होता। एक और उदाहरण देखिए। गलत तरीके से बाधित अवधि (सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिस ठेकेदार को खनन का पट्टा मिला होता है अगर वह प्राकृतिक कारणों से या सरकारी कारणों से काम शुरू नहीं कर पाता तो उतना ही अतिरिक्त वक्त खनन के लिए दिया जाता है।) देने के मामले भी सामने आते हैं। ऐसी ही सैकड़ों शिकायतें मेरी पत्नी नूतन ठाकुर को मिलीं, जहां खनन अवधि समाप्त होने के बाद भी फर्जी ढंग से बाधित अवधि दी गई। जिला मैजिस्ट्रेट ने भी जांच में माना कि उन ठेकेदारों को बाधित अवधि देना सही नहीं था। कई राज्यों में बोली या टैंडर के जरिए खान आवंटन किया जाता है। इसमें भी घपला सामने आता है। पहले तो टैंडर में सत्ता संरक्षित लोग कम बोली लगाते हैं और उसके बाद टैंडर वाली बोली से ज्यादा दाम पर खान ले ली जाती है। ऐसे दावेदार जिनकी सत्ता से नजदीकियां नहीं होतीं वे स्वतः ही इस प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।

अवैध खनन का राज्यों में एक स्थापित कार्टेल है और एक समानांतर साम्राज्य चलता है। हरेक राज्य की कमोबेश यही कहानी है। जिन अधिकारियों ने इस तंत्र को तोड़ने की कोशिश की, उनमें कई इस दुनिया में नहीं रहे या कई प्रताड़ित हुए हैं और कई अधिकारियों का तबादला हो गया। जिला स्तर पर ऐसे अधिकारी भी रहते हैं जो आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अवैध खनन की रोकथाम की उम्मीद नहीं की जा सकती।

कैसे टूटेगी इसकी कमर

मेरा दृढ़ मत है कि अवैध खनन की रोकथाम के लिए सख्त और सुदृढ़ न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। जिस प्रकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्थापित होने के बाद कुछ फर्क पड़ा है। चूंकि यह विशेषकर इसी कार्य के लिए बना है। इसे प्राकृतिक सम्पदा के अवैध दोहन को रोकना होता है। एक जागरूक व्यक्ति के रूप में मुझे लगता है कि न्यायिक हस्तक्षेप से दो कार्य होते हैं। एक तो गलत किस्म के लोगों की कमर टूटती है। दूसरा जो इस तरह के लोगों को रोकना चाहते हैं, उनको बल मिलता है। उत्तरप्रदेश में जब लोकायुक्त ने अवैध खनन की जांच शुरू की तो पूरे प्रदेश में इसमें गिरावट आई।

इन बेईमानों को बाहर करें

इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर खान विभाग को कथित मलाईदार विभाग कहा जाता है। वहां बैठे मंत्री पर जनता को निगाह रखनी चाहिए। जनता जागरूक होकर ऐसे बेईमान नेता या इनसे मिले हुए अफसरों के खिलाफ आवाज उठाए और इन्हें बाहर कराए। जनता को भी जिम्मेदारी समझनी होगी क्योंकि कई बार स्थापित रूप से बेईमान नेताओं को सत्ता में आने का मौका जनता ही देती है। यह स्थिति हमें बदलनी होगी।

शासन रोकना चाहता ही नहीं

अजय दुबे, आरटीआई एक्टिविस्ट

यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता कि मध्यप्रदेश में खान विभाग के सचिव लंबे समय से राज्य के मुख्यमंत्री के भी सचिव रहे हैं। 11 साल बाद यह पहली बार है जबकि खनन विभाग का सचिव सीएम का सचिव नहीं है। पर 11 साल तक जो हुआ उससे ध्वनि तो यही निकलती है कि प्रदेश में होने वाले अवैध खनन से राज्य का मुखिया अवगत जरूर होगा। इसके अलावा अवैध खनन तथा परिवहन रोकने की लिए जिले में कलक्टर, एसपी और वन सरंक्षक का संयुक्त कार्यबल जिम्मेदार होता है। पर इनमें उचित समन्वय अभी तक तो दूर की कौड़ी ही बना हुआ है।

मुरैना के हादसे के लिए तो सीधे-सीधे मइनिंग विभाग जिम्मेदार है। अगर माइनिंग विभाग फील्ड स्तर पर कार्रवाई करता तो इस तरह के अवैध ट्रक जिससे हादसा हुआ, वह सड़क पर हो ही नहीं सकता था। इसके साथ ही सरकार चाहती तो जीपीएस और सैटेलाइट सर्वेलांस की भी सहायता ले सकती सकती थी, अवैध खनन रोकने के लिए। नई तकनीकों के माध्यम से यह बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कर्नाटक के बेल्लारी में तकनीक के माध्यम से अवैध खनन काबू करने में सफलता हासिल की भी गई है।

शासन की मिलीभगत

रमेश अग्रवाल, आरटीआई एक्टिविस्ट, एशिया 2014 गोल्डमैन पुरस्कार विजेता

अवैध खनन की समस्या यूं तो सारे देश में है पर खनिज संपदा संपन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में यह विशेष रूप से विकट है। यह मानी हुई बात है कि कोई भी अवैध खनन राजनीतिक और शासकीय संरक्षण के बिना नहीं हो सकता। छिटपुट अवैध खनन को छोड़ दें तो हर अवैध खनन में कॉरपोरेट और सरकार की मिलीभगत होती है। जो भी इनको रोकने की कोशिश करता है उसको पहले तो खरीदने की कोशिश होती है, फिर फंसाने की कोशिश की जाती है। जब किसी तरह से कोई बात नहीं बनती तो फिर उसको रास्ते से ही हटाने की कोशिश होती है। मध्यप्रदेश के मुरैना में भी ऐसा ही हुआ प्रतीत होता है। मुरैना में ही पहले एक आईपीएस की अधिकारी की इसी तरह से मौत हो गई थी और अब एक सिपाही की जान ले ली गई है। इसमें सबसे दुःखद यह है कि इन मामलों में सारी जांच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है, इधर कागजी खानापूर्ति चलती रहती है और उधर अवैध खनन बदस्तूर जारी रहता है।

> रायगढ़ में तो 15 साल से सरकार के पास कोई 'वे-ब्रिज' ही नहीं है जिससे यह मापा जा सके कि खदान से बाहर जाने वाले ट्रक में कितनी सामग्री लदी है।

छत्तीसगढ़ में स्थिति विकट

छत्तीसगढ़ में कुछ जिले तो इस प्रकार के अवैध खनन से विशेष रूप से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया के बजाय कोयला और अयस्क क्षेत्र में अवैध खनन विशेष रूप से देखने को मिलता है। कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर आदि जिले इस समस्या से विशेष रूप से प्रभावित हैं। जिसके पास कैप्टिव माइन्स हैं वह कितना कोयला या अयस्क निकाल रहा है इसका कोई अनुमान ही सरकार को नहीं है। रायगढ़ में तो 15 साल से सरकार के पास कोई 'वे-ब्रिज' ही नहीं है जिससे यह मापा जा सके कि खदान से बाहर जाने वाले ट्रक में कितना सामान लदा है। आरटीआई से भी यह पता करने की कोशिश की गई कि सरकार कैसे मापती है कि किस खदान से कितना कोयला आदि बाहर निकाला जा रहा है। इसका यही जवाब मिला कि संबंधित फर्म ही लॉयल्टी के लिए दी जाने वाली रसीद के माध्यम से यह बताती है कि उसने किस ट्रक में कितना कोयला आदि लदा हुआ है। सरकार के पास इसे जांचने का कोई उपाय नहीं है। अवैध खनन रोकना सरकार के भरोसे नहीं रोका जा सकता। जब तक जनता जागरूक होकर सड़कों पर ना आ जाए तब तक चलता रहेगा।

सुगम हों वैध खनन के रास्ते

अविनाश चंद्र, संपादक, आजादी.मी

भवन निर्माण कार्य के लिए रेत-बजरी एक जरूरी अव्यव है। पर रेत खनन के लिए लाइसेंस और पर्यावरण के नाम पर लगाई गई बंदिशों के कारण वैध तरीके से काम करना अत्यंत कठिन हो गया है। फलस्वरूप भवन निर्माण के लिए रेत की कृत्रिम कमी पैदा हो गई है। नेताओं और अधिकारियों द्वारा खनन लाइसेंस जारी करने के काम को जानबूझकर कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, जिससे कीमतें और अधिक बढ़ जाती हैं और उसी अनुपात में लाभ कमाने के मौके भी। एक गैरसरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व तक रेत, रोड़ी और पत्थर के खनन के लिए प्रतिवर्ष 2800-3000 लीज आवंटित होते थे जो पिछले वर्ष तक घटकर 1900 तक रह गए हैं। कुछ जिलों तो एक भी वैध खानें नहीं रह गई थीं। इसने अवैध खनन के कार्य को और ज्यादा मुनाफे कमाने वाला बना दिया। स्टॉक मार्केट में सीमेंट की कीमतें गिर गई। अर्थव्यवस्था में और मंदी आ जाती यदि अवैध खनन राहत प्रदान नहीं करता। निर्माण क्षेत्र में चीन की बराबरी के लिए हमें मौजूदा मात्रा से 10 गुना ज्यादा रेत चाहिए। विगत 5 साल में निर्माण क्षेत्र में 2 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं जबकि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में गिरावट दर्ज हुई है।

यह हमारी नदियों को लील रहा है

डॉ. अनिल प्रकाश जोशी, पर्यावरणविद्

अब रेत-बजरी के दिन बदल गए। क्या राजनितिज्ञ, क्या माफिया और क्या ठेकेदार, सभी इस के चारों तरफ ही घूम रहे हैं। यहां तक कि देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा के अधिकारियों को ही रेत-बजरी लील रही है। रेत की शान का पता इसी बात से चलता है कि इसके चलते कई तरह की राजनितिक उठापटक होती रहती है।

देशभर में आज रेत-बजरी का कारोबार हजारों-करोड रुपए का है। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां इस व्यापार में फलने-फूलने के मौके नहीं हो। यह व्यापार इस कदर बढ़ा है कि सभी व्यापारी वर्गों ने इसमें हाथ डालने की सोची है। कारण यह है कि इसमें लाभ बहुत है। एक रुपए की लागत में कमाई 5 रुपए है और कच्चा माल हर वर्ष नदियां भर-भर के लाती ही हैं। दूसरी बात यह है कि ठेका अगर 10 टन बजरी उठाने का है तो उसी परमिट की आड़ में दस गुना रेत उठा ली जाती है। ज्यादा धरपकड़ के इन्तजाम भी नहीं हैं। अगर कभी कोई हो-हल्ला होता भी है तो मामला दबा दिया जाता है। सरकार ने सन् 1957 में खदान व लवण नियम बनाया था, जो आज तक कभी दोबारा बहस के मुद्दों में नहीं आया। इसके अनुसार हर राज्य को नियम बनाने थे। कई राज्य सरकारों ने तो कोई नियम बनाए ही नहीं। मध्य प्रदेश को ही देखिए, 2013 तक इस राज्य ने कोई नियम ही नहीं थे। इस कारण रेत-बजरी का व्यापार खूब जोरशोर से पनपा।

जुर्माना बहुत कम

इन सब परिस्थितियों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस वर्ष फरवरी में ही प्रत्येक खनन के लिए ग्रीन सिग्नल की आवश्यकता पर जोर दिया है। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पीछे कुछ तथ्य हैं। अकेले 2010 में 82,000 ऐसे केस सामने आए हैं जिनमें अवैध खनन हुआ है। इसी तरह 2012 से इस जनवरी तक इनकी संख्या 47,000 थी। इस तरह की घटनाओं में होता भी कुछ नहीं। कुल बिक्री का 8 प्रतिशत जुर्माना भरना पड़ता है, या फिर 25,000 रुपए जुर्माना और दो साल की जेल। मामला भले ही परमिट से चार गुना रेत निकालने का हो या 100 गुना रेत निकालने का, जुर्माना यही होगा। देश में बजरी का 18,734 करोड़ रुपए का व्यापार होता है।

> नदियों में रेत का गति के नियन्त्रण और भूमिगत जल की आपूर्ति में बड़ा योगदान होता है। नदियों से बजरी के अंधाधुंध खनन से जल संकट को बुलावा दिया जा रहा है।

सभी नदियां खतरे में

वैसे 2009 में खनन के खिलाफ घण्टी बज चुकी थी। इसके चलते पर्यावरण विभाग ने 2010 में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में रेत खनन रोक लगा दी थी और लीज की अवधि भी 5 साल तय कर दी। यह भी तय किया गया कि खनन व खदान का पुर्ननिरिक्षण कर सही निति तैयार की जाए। देश की लगभग सभी नदियां खनन की मार झेल रही हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चम्बल, बेतुआ, बेनगंगा आदि नदियों के हालात खनन के कारण गम्भीर है, तो केरल में भारतपूजा, कुटटुमाड़ी, अचनकोकिला, पम्पा व मेटियार संकट में है। अन्य राज्यों में भी यही हालात हैं। रेत-बजरी के दाम भी अलग-अलग राज्यों में अलग हैं। बेंगलूरु में 600 वर्गफीट बजरी का ट्रक 30 हजार रुपए में मिलता है तो हरियाणा में 15 हजार में और कोलकाता में 16 से 20 हजार रुपए में। यह बड़ा धंधा है। अकेले राजस्थान में ही 500 से 800 करोड़ रुपए का व्यापार होता है।

इन्हें समझने की जरूरत

नदियों की संस्कृति को समझने की आवश्यकता है। हमने इन्हें अपनी खेती-पानी या रेत-बजरी की आवश्यकता से ज्यादा कुछ नहीं माना। इसके विज्ञान को नकार दिया। नदी प्रकृति के आपसी मंथन का परिणाम होती है। ये हजारों-लाखों सालों की पारिस्थितिकीय हलचलों का उत्पाद होती हैं। नदियों का अत्यधिक खनन नदी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इनका गति के नियन्त्रण और भूमिगत जल की आपूर्ति में बड़ा योगदान होता है। देश में भूमिगत पानी की आपूर्ति का बड़ा स्रोत नदियां ही हैं। आज इसकी कमी के कारणों में नदियों का गिरता जलस्तर भी हैं। नदियों के वेग को थामने और जल संग्रहण में रेत-बजरी की बड़ी भूमिका होती है।